संयुक्त प्रांत भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1934[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1934)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1935
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1939
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1940
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1943
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1946
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1954

द्वारा संशोधित

भारत सरकार (भारतीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अनुकूलित एवं संशोधित।

विधियों के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अनुकूलित एवं संशोधित,

[15 जनवरी, 1935 को गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त हुई, और 10 अप्रैल, 1935 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई, और [27 अप्रैल, 1935 को भारत सरकार अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत [2]प्रकाशित हुई।]

संयुक्त प्रांत की ऋणग्रस्त सम्पदाओं के राहत का प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

चूँकि संयुक्त प्रांत में ऋणग्रस्त सम्पदाओं के राहत का प्रावधान करना समीचीन है और चूँकि इस अधिनियम को पारित करने के लिए भारत सरकार अधिनियम की धारा 80-क के अंतर्गत गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है;

इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है;

अध्याय-1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) इस अधिनियम को संयुक्त प्रांत भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1934 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों, नैनीताल जिले की नैनीताल तहसील और देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण [3][उत्तर प्रदेश] [4][xxx] पर है।

(3) (क) यह अध्याय और अध्याय 3 उस तिथि[5] को प्रवृत्त होंगे जो [7][राज्य सरकार] द्वारा इस संबंध में [6][राजपत्र] में अधिसूचित की जाए।

---

1. एस.ओ.आर. के लिए गज. एक्स्ट्रा., दिनांक 29 मार्च, 1934, पृ. 15 देखें; आर.एस. कॉम. के लिए, वही, दिनांक 15 जून, 1934, पृ. 1-54 देखें; चर्चा के लिए, एल.सी. प्रो., दिनांक 15 जून, 1934, पृ. 1-54 देखें; 9 और 11 अप्रैल, और 23 जून, 1934, खंड LXIII में, पृ. 93-136 और 581, 584, क्रमशः, 15, 16, 19, 20, 26, 7, 28, 29, 30 नवंबर, और 1 और 3 दिसंबर, 1934, खंड LXVI में, पृ. 314-335, 358-408, 420-476, 47-541, 548, 579, 586-612, 620, 663, 666-698, 700-746, 748-80 और 819-873, क्रमशः, और 7 और 8 दिसंबर, 1934, खंड LXIV, पृ. 145-159 और 165 220, क्रमशः।
2. राजपत्र 1935, भाग VII, पृ. 31-41 देखें।
3. ए.ओ. 1950 द्वारा (संयुक्त प्रांत) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. (आगरा और अवध के) शब्दों का लोप किया गया।
5. इस अधिनियम के सभी अध्याय 30 अप्रैल, 1935 को प्रवृत्त हुए (देखें नोट. संख्या 329, संशोधित, दिनांक 27 अप्रैल, 1935, राजपत्र, 1935. प्र. VIII, पृ. 100 में।)
6. "गज." के स्थान पर ए.ओ. 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. ए.ओ. 1959 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

(ख) शेष अध्याय खंड (क) के प्रावधानों के तहत अधिसूचित तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर लागू होंगे:

बशर्ते कि [1][राज्य सरकार] समय-समय पर [2][राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा उक्त अध्यायों को किसी भी जिले या जिलों में किसी भी पूर्व तिथि या तिथियों पर लागू कर सकेगी।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो:

(क) "ऋण" में अनिर्धारित क्षतियों के लिए देयता को छोड़कर कोई भी आर्थिक देयता शामिल है;

(ख) "निजी ऋण" का अर्थ सार्वजनिक ऋण के अलावा कोई अन्य ऋण है;

(ग) "सार्वजनिक ऋण" का अर्थ [4][सरकार] या किसी स्थानीय प्राधिकरण को [3][देय ऋण] है;

(घ) "भूमि" का अर्थ किसी महल में हिस्सा या हित है। [5][उत्तर प्रदेश] में लागू होगा, किन्तु इसमें बंधककर्ता या ठेकेदार का हित या भू-राजस्व का समनुदेशन सम्मिलित नहीं है, जब तक कि वह हस्तांतरणीय और शाश्वत न हो;

(ङ) [6][***]

(च) "महल" का वही अर्थ है जो भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 4 की उपधारा (4) में है;

(छ) "भू-स्वामी" का अर्थ है किसी महल का स्वामी, किसी महल में हिस्सेदारी या हित और इसमें उबारीदार, उप-स्वामी या उप-स्वामी और विशिष्ट भूखंडों का स्वामी शामिल है, लेकिन इसमें बंधकदार या ठेकेदार शामिल नहीं है:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति भू-स्वामी नहीं समझा जाएगा, यदि उसकी भूमि का मूल्यांकन जिला बोर्ड अधिनियम, 1922 की धारा 109 के तहत एक रुपये की स्थानीय दर से कम पर किया जाता है।

(ज) [7][***]

(झ) [7][***]

(ञ) [7][***]

(ट) [7][***]

---

1. ए.ओ. 1959 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
2. ए.ओ. 1937 द्वारा "गज." के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. "सरकार के कारण ऋण" ए.ओ. 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. ए.ओ. 1950 द्वारा [क्राउन] के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. ए.ओ. 1950 द्वारा [प्रोवी.] के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. यू.पी. अधिनियम XIII, 1954 की धारा 2 (i) के स्थान पर लोप किया गया।
7. यू.पी. अधिनियम XIII, 1954 की धारा 2 (i) के स्थान पर लोप किया गया।

(ठ) [1][***]

(ड) [1][***]

[2][(ढ) 'भूमि में स्वामित्व अधिकार' के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अंतर्गत और उसके अनुसार देय मुआवज़ा और पुनर्वास अनुदान का संदर्भ शामिल होगा, और

(ण) 'मुआवज़ा' और 'पुनर्वास अनुदान' पदों का अर्थ, जैसा भी मामला हो, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अंतर्गत देय मुआवज़ा या पुनर्वास अनुदान होगा, और मुआवज़े के मामले में, उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत देय अंतरिम मुआवज़ा भी शामिल है।][2]

अध्याय-II

अधिकारियों की नियुक्ति

विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति और हटाना

3. (1) [3][राज्य सरकार] किसी भी सिविल न्यायिक अधिकारी को किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है और ऐसा विशेष न्यायाधीश, अपने अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र और विस्तार के संबंध में सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) [3][राज्य सरकार] इस प्रकार नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश को निलंबित कर सकती है या हटा सकती है।

अध्याय-3

आवेदन

अधिनियम के लाभ के लिए आवेदन और वह समय जिसके भीतर इसे किया जा सकता है

4. (1) इस अध्याय के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, कोई भी भू-स्वामी जो निजी ऋणों के अधीन है या जिसकी अचल संपत्ति या उसका कोई भाग निजी ऋणों से ग्रस्त है, उस जिले के कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है जिसमें उसकी भूमि या उसकी भूमि का कोई भाग स्थित है, जिसमें ऐसे निजी ऋणों की राशि और उसके डिक्रीकृत और अडिक्रीकृत दोनों सार्वजनिक ऋणों का भी उल्लेख हो और यह अनुरोध किया जाए कि इस अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू किए जाएं:

परंतु जब किसी भू-स्वामी की संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीक्षण में हो, तो इस धारा के तहत कोई भी आवेदन उसकी संपत्ति के प्रबंधक द्वारा किया जाएगा और जब कोई भू-स्वामी व्यक्तिगत असमर्थता के कारण सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही शुरू करने से अयोग्य हो जाता है, तो इस धारा के तहत उसके कानूनी या प्राकृतिक संरक्षक या उसकी संपत्ति का वास्तविक प्रबंधन करने वाला किसी व्यक्ति के:द्वारा, उसकी ओर से आवेदन किया जा सकता है।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 2 (i) द्वारा लोप किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 2 (iii) द्वारा जोड़ा गया।
3. ए.ओ. 1959 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

यह भी प्रावधान है कि संयुक्त हिंदू परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि

(क) ऐसे परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित न हो जाएँ और आवेदन में यह तथ्य न बताया गया हो, या

(ख) आवेदक आवेदन में संयुक्त परिवार से अलग होने के अपने इरादे की स्पष्ट घोषणा न कर दे और परिवार के शेष सदस्यों के नाम और पते तथा परिवार की संपत्ति के बँटवारे पर आवेदक को मिलने वाले हिस्से का उल्लेख न कर दे।

यह भी प्रावधान है कि कोई भी भू-स्वामी, जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो और जिसे उन्मोचित नहीं किया गया हो, इस धारा के अंतर्गत आवेदन नहीं करेगा:

यह भी प्रावधान है कि यदि इस धारा के अंतर्गत आवेदन किसी मृतक ऋणी के सभी उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो यह तथ्य आवेदन में बताया जाएगा:

यह भी प्रावधान है कि यदि इस धारा के अंतर्गत आवेदन किसी मृतक ऋणी के एक या अधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता है, परंतु सभी उत्तराधिकारियों द्वारा नहीं, जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो यह तथ्य आवेदन में बताया जाएगा और उन उत्तराधिकारियों के नाम और पते, जो आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, तथा मृतक ऋणी से उन्हें विरासत में मिली संपत्ति में सभी उत्तराधिकारियों के हिस्से का उल्लेख आवेदन में किया जाएगा।

(2) [1][राज्य सरकार] [2][राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निर्धारित समय को छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए [3][बढ़ा] सकेगी।

(3) यदि इस अधिनियम के अध्याय 3 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर किसी भू-स्वामी ने संयुक्त प्रांत कृषक राहत अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत किसी डिक्री में संशोधन के लिए आवेदन किया है, तो उसके आवेदन की तारीख से उसके अंतिम निपटान की तारीख तक की अवधि को उस अवधि से बाहर रखा जाएगा जिसके भीतर वह इस धारा की उपधारा (1) और (2) के तहत आवेदन कर सकता है।

(4) यदि कोई भू-स्वामी इस धारा के तहत उप-धारा (1) या (2) के प्रावधानों के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख के बाद छह महीने की अवधि के भीतर इस धारा के तहत आवेदन प्रस्तुत करता है, जैसा भी हो, और कलेक्टर को संतुष्ट करता है कि वह किसी भी पर्याप्त कारण से उन उप-धाराओं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने से रोका गया था, कलेक्टर आवेदन स्वीकार कर सकता है।

---

1. प्रांतीय सरकार के लिए ए.ओ. 1958 द्वारा प्रतिस्थापित, जिसे (एल.जी.) के लिए ए.ओ. 1937 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
2. "गज." के स्थान पर ए.ओ. 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. आवेदन की अवधि छह महीने बढ़ाने के लिए, देखें अधिसूचना संख्या 812-VII/1-434, दिनांक 1 अप्रैल, 1936, गज 1936, भाग VIII, पृष्ठ 97 में।

[1][(5)] यदि कलेक्टर या विशेष न्यायाधीश के समक्ष यह आपत्ति उठाई जाती है कि आवेदन त्रुटिपूर्ण है और ऐसी आपत्ति को बरकरार रखा जाता है, तो कलेक्टर या विशेष न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, भू-स्वामी के अनुरोध पर, वादों के संशोधन से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन में संशोधन करेगा और मामले को आगे बढ़ाएगा।

[2](6) कोई भी आवेदन केवल इस तथ्य के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि आवेदक किसी हिंदू विधवा या अन्य सीमित स्वामी के उत्तराधिकार या समर्पण के आधार पर भू-स्वामी है।]

दूसरे आवेदन पर रोक

5. कोई भी भू-स्वामी, जिसने धारा 4 के तहत आवेदन किया है, किसी अन्य कलेक्टर को दूसरा आवेदन करने का हकदार नहीं होगा। यदि ऐसा अन्य आवेदन किया जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियाँ शून्य हो जाएँगी और ऐसे आवेदन की सूचना राजस्व बोर्ड को दी जाएगी।

विशेष न्यायाधीश को आवेदन का प्रेषण

6.[3][जब धारा 4 के उपबंधों के अनुसार आवेदन विधिवत् प्रस्तुत किया गया हो, तो कलेक्टर तुरन्त आदेश पारित करेगा कि उसे विशेष न्यायाधीश को अग्रेषित किया जाए और आवेदक को आदेश की प्रमाणित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। इसके बाद वह आवेदन को विशेष न्यायाधीश के पास भेजेगा और उसे भू-स्वामी के विरुद्ध बकाया ऐसे सार्वजनिक ऋणों की जानकारी देगा, जो इस संबंध में [4][राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों में निर्धारित किए गए हों।][3]

कलेक्टर द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने के परिणाम

7.[5][(1) जब कलेक्टर ने धारा 6 के अधीन आदेश पारित कर दिया है, तो निम्नलिखित परिणाम होंगे:

(क) उक्त आदेश की तिथि पर [6][उत्तर प्रदेश] के किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय में किसी भी ऐसे सार्वजनिक या निजी ऋण के संबंध में लंबित सभी कार्यवाहियाँ, जिसके अधीन भू-स्वामी है, या जिससे उसकी अचल संपत्ति ऋणग्रस्त है, किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील या [7][पुनरीक्षण] को छोड़कर, स्थगित कर दी जाएँगी, ऐसे किसी भी ऋण के संबंध में ऐसे किसी भी न्यायालय द्वारा जारी और उस समय प्रवृत्त सभी कुर्कियाँ और अन्य निष्पादन आदेशिकाएँ शून्य और अमान्य हो जाएँगी, और इसके बाद जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय निष्पादन में कोई नई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी;

(ख) किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील [समीक्षा] या पुनरीक्षण, या बकाया किराये के लिए बेदखली की प्रक्रिया के अलावा कोई नया वाद या अन्य कार्यवाही, इसमें आगे जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, उत्तर प्रदेश में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में उक्त आदेश के पारित होने से पूर्व उपगत किसी ऋण के संबंध में संस्थित नहीं की जाएगी, [5][किन्तु यदि किसी भी कारण से ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित की गई है, तो उसे खंड (क) के अर्थ में उक्त आदेश की तिथि पर लंबित कार्यवाही समझा जाएगा।]

---

1 उत्तर प्रदेश अधिनियम 11, 1939 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

2 पूर्वोक्त की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

3 उत्तर प्रदेश अधिनियम 4, 1935 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 [प्रांतीय सरकार के लिए ए.ओ. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित, जिसे (एल.जी.) के लिए ए.ओ. 1937 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम IV, 1935 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

6 संयुक्त प्रांत के लिए 1950 के अधिनियम सं. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

7 उत्तर प्रदेश अधिनियम XI, 1939 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

8. उत्तर प्रदेश अधिनियम XI, 1939 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

9 पूर्वोक्त धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।

परन्तु जब किसी भू-स्वामी ने अपनी किसी भूमि के संबंध में अनुसुफ्रक्चुअरी बंधक निष्पादित कर लिया हो और वह बंधककर्ता के ठेकेदार के रूप में उस भूमि पर काबिज हो, तो बकाया ठेका लगान के लिए उस भूमि से उसकी बेदखली के लिए कोई नई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी।

(2) उक्त आदेश के पारित होने के पश्चात् और जब तक धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन विशेष न्यायाधीश द्वारा आवेदन खारिज नहीं कर दिया जाता, या इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही धारा 20 के अधीन रद्द नहीं कर दी जाती या जब तक कलेक्टर [1][अध्याय 5 के अंतर्गत] ऋण का परिसमापन नहीं कर देता, तब तक धारा 6 के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् भू-स्वामी द्वारा उपगत किसी निजी ऋण के आधार पर प्राप्त कोई भी डिक्री, धारा 11 के अधीन सूचना में उल्लिखित भूमि में मालिकाना अधिकारों के अलावा, उसकी किसी भी संपत्ति के विरुद्ध निष्पादित नहीं की जाएगी और भू-स्वामी कलेक्टर की स्वीकृति के बिना उस संपत्ति का विनिमय या दान करने, या बेचने, बंधक रखने या पट्टे पर देने के लिए सक्षम नहीं होगा।

(3) धारा 6 के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् और जब तक कलेक्टर धारा 44 के अनुसार यह घोषित नहीं कर देता कि भू-स्वामी इस उपधारा के निर्योग्यताओं के अधीन नहीं रह गया है, [2][या धारा 44 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित होने तक] धारा 6 के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् उपगत किसी निजी ऋण के आधार पर प्राप्त कोई भी डिक्री, धारा 11 के अधीन प्रकाशित सूचना में उल्लिखित भूमि पर भू-स्वामी के किसी भी मालिकाना अधिकार के विरुद्ध निष्पादित नहीं की जाएगी और भू-स्वामी, कलेक्टर की स्वीकृति के बिना, उन मालिकाना अधिकारों या उनके किसी भाग का विनिमय या दान करने, या बेचने, बंधक रखने या पट्टे पर देने के लिए सक्षम नहीं होगा।

(4) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी अंतरण शून्य होगा।

अध्याय-IV

ऋणों का प्रमाण और विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया

लिखित विवरण प्रस्तुत किया जाना है

8[3]. (1) जब विशेष न्यायाधीश को धारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है, तो वह आवेदक से इस संबंध में उसके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर एक लिखित विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, जिसमें यथासंभव निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) उन सार्वजनिक और निजी ऋणों के संबंध में पूर्ण विवरण जिनके अधीन भू-स्वामी है, या जिनसे उसकी अचल संपत्ति या उसका कोई भाग भारग्रस्त है;

(ख) भूमि में भू-स्वामी के स्वामित्व अधिकारों की प्रकृति और सीमा;

(ग) भू-स्वामी की संपत्ति की प्रकृति और सीमा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के अधीन कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी है, जिसमें भूमि में उसके स्वामित्व अधिकार शामिल नहीं हैं; और

(घ) उसके लेनदारों के नाम और पते, जहाँ तक वे आवेदक को ज्ञात हैं या उसके द्वारा पता लगाए जा सकते हैं।

---

1 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. 1939 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या XI की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।

3. 1935 के उत्तर प्रदेश अधिनियम IV की धारा 4 द्वारा पुनः संख्यांकित।

कथन का सत्यापन

(2) कथन का सत्यापन विधि द्वारा वादपत्रों के सत्यापन के लिए निर्धारित तरीके से किया जाएगा;

परन्तु, जब किसी संपत्ति के प्रबंधक द्वारा, प्रतिपाल्य अधिकरण के अधीक्षण में आवेदन किया जाता है, तो ऐसे प्रबंधक के लिए कथन का सत्यापन करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु भू-स्वामी, जहाँ तक संभव हो, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी विशेष न्यायाधीश अपेक्षा करें।

[1][(3) जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट लिखित कथन या उपधारा (2) के परंतुक में निर्दिष्ट सूचना बिना किसी उचित कारण के नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो विशेष न्यायाधीश आवेदन को खारिज कर सकता है और उस स्थिति में कलेक्टर को सूचित करेगा कि उसने ऐसा कर दिया है]।

दावों के लिए सूचना

9[2]. (1) विशेष न्यायाधीश [3][राजपत्र] अंग्रेजी में [4][और देवनागरी लिपि हिंदी में] [5][****] एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आह्वान किया जाएगा जिनके पास निजी ऋणों के संबंध में दावे हैं, जो भू-स्वामी के व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध डिक्रीकृत और गैर-डिक्रीकृत दोनों हैं, जिनके द्वारा या जिनकी ओर से धारा 4 के अधीन आवेदन किया गया है, कि वे सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन महीने के भीतर विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपने दावों के लिखित कथन प्रस्तुत करें।

नोटिस की प्रतियां प्रदर्शित की जाएंगी

(2) विशेष न्यायाधीश ऐसे नोटिस की प्रतियां ऐसे[6] पत्र या पत्रों में प्रकाशित करवाएगा [7][***] जैसा कि वह निर्देश दे सकता है और अपने कार्यालय में, प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में, जिसके जिले में भू-स्वामी की संपत्ति का कोई भाग स्थित है, और उस गांव में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करवाएगा जहां भू-स्वामी रहता है और नोटिस की एक प्रति [8][और धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत लिखित कथन की एक प्रति] पंजीकृत डाक द्वारा उन प्रत्येक लेनदारों को भेजेगा जिनके नाम और पते [9][धारा 8] की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कथन में उल्लिखित हैं।

दो महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर दावों को स्वीकार करने का प्रावधान

(3) लिखित बयान नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जब तक कि दावेदार विशेष न्यायाधीश को यह संतुष्ट न कर दे कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था, ऐसी स्थिति में विशेष न्यायाधीश[10][,] [11][ऐसे आदेशों के अधीन जो वह उचित समझे ऐसे बयान को स्वीकार कर सकता है यदि वह उस तारीख से पहले किसी भी समय प्रस्तुत किया जाता है जिस दिन वह धारा 19 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर को डिक्री भेजता है या 30 नवंबर, 1939 से पहले, जो भी बाद में हो।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम IV, 1935 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया।
2. उपरोक्त की धारा 4 द्वारा पुनः संख्यांकित।
3. ए.ओ. 1937 द्वारा "गज-" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. ए.ओ. 1950 द्वारा अंतःस्थापित।
5. शब्द "उर्दू और हिंदी" 1939 के यू.पी. अधिनियम XI की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1939 के यू.पी. अधिनियम XI की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।
7. "अंग्रेजी में प्रकाशित कम से कम एक पत्र सहित" शब्द, धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. धारा 8 द्वारा जोड़े गए।
9. 1935 के यू.पी. अधिनियम IV की धारा 5 द्वारा "धारा 7" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. 1939 के यू.पी. अधिनियम XI की धारा 9 द्वारा कॉमा (अर्द्धविराम) अंतःस्थापित।
11. "यदि दो महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे स्वीकार करें" शब्दों के स्थान पर धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदन के मामले में ऋण और संपत्ति का प्रभाजन

(4) यदि संयुक्त हिंदू परिवार के एक या अधिक सदस्य धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन, आवेदन करते हैं तो विशेष न्यायाधीश संयुक्त परिवार द्वारा देय ऋणों और उसकी संपत्ति का प्रभाजन उन सदस्यों के बीच करेगा जिन्होंने ऐसा आवेदन किया है और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जिन सदस्यों ने धारा 4 के अधीन आवेदन किया है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो वे अन्य सदस्यों से अलग हो गए हों।

संयुक्त देनदारों के दायित्व का निर्धारण, जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य नहीं हैं

(5) (क) यदि कई संयुक्त देनदारों में से एक या अधिक, जो एक ही संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य नहीं हैं, धारा 4 के अधीन आवेदन करते हैं, लेकिन सभी संयुक्त देनदार आवेदन नहीं करते हैं, तो विशेष न्यायाधीश आवेदन करने वाले देनदार या देनदारों द्वारा देय संयुक्त ऋण की राशि और आवेदन न करने वालों द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा। इस निर्धारण के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायाधीश उन संयुक्त देनदारों को, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, कार्यवाही में पक्षकार बनाएगा और अपना निष्कर्ष दर्ज करने से पहले उनकी किसी भी आपत्ति पर सुनवाई करेगा।

(ख) यदि सभी संयुक्त देनदारों ने धारा 4 के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है तो ऋणदाता को उन देनदारों से, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, संयुक्त ऋण के कारण केवल उतनी राशि वसूल करने का अधिकार होगा, जितनी विशेष न्यायाधीश द्वारा उनके द्वारा देय [1][निर्धारित] की जाए।

[2][(ग) जहां ऐसे संयुक्त ऋण या संयुक्त डिक्री के संबंध में कोई वाद संस्थित नहीं किया गया है या किसी अन्य न्यायालय में संयुक्त डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है, वहां लेनदार ऐसे वाद पर विचार करने या ऐसी डिक्री निष्पादित करने के लिए अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय में आवेदन करके, ऐसे निष्पादन आवेदन पर देय न्यायालय शुल्क के भुगतान के अधीन रहते हुए, या विशेष न्यायाधीश द्वारा निर्धारित राशि के लिए वाद में वादपत्र पर, गैर-आवेदक संयुक्त देनदारों के विरुद्ध डिक्री प्राप्त कर सकता है या डिक्री निष्पादित करवा सकता है :

परंतु भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे वाद या ऐसे निष्पादन आवेदन के लिए सीमा अवधि की गणना करने में, धारा 6 के अधीन कलेक्टर के आदेश की तारीख से लेकर खंड (ख) के अधीन विशेष न्यायाधीश द्वारा ऐसे ऋण के निर्धारण की तारीख तक की अवधि को किसी भी मामले में अपवर्जित किया जाएगा।]

[3][(घ) जहां संयुक्त ऋण के संबंध में कोई वाद संस्थित किया गया है या संयुक्त डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है, और कार्यवाही यदि धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन इसमें रोक लगा दी गई हो, तो वह न्यायालय जिसमें ऐसा वाद संस्थित किया गया था या ऐसा निष्पादन आवेदन किया गया था, लेनदार के आवेदन पर, ऐसे वाद पर कार्यवाही करेगा, या उन संयुक्त देनदारों के विरुद्ध उपधारा (ग) के अनुसार ऐसे आवेदन को निष्पादित करेगा, जिन्होंने धारा 4 के अधीन आवेदन नहीं किया था, विशेष न्यायाधीश द्वारा ऐसे संयुक्त देनदारों से देय निर्धारित संयुक्त ऋण की राशि के संबंध में]:

---

1. यू.पी. अधिनियम 11, 1939 की धारा 10 द्वारा (आज्ञा) प्रतिस्थापित।
2. खंड (ग) यू.पी. अधिनियम 11, 1939 की धारा द्वारा अंतःस्थापित किया गया।
3. खंड (घ) यू.पी. अधिनियम 11, 1939 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

परंतु यह कि किसी फर्म, जो संयुक्त परिवार फर्म नहीं है और स्वयं भू-स्वामी नहीं है, के दायित्व के संबंध में किसी मुकदमे में, लेनदार फर्म की संपत्ति के विरुद्ध संपूर्ण ऋण के संबंध में कार्यवाही करने का हकदार होगा, लेकिन आवेदक भागीदार से व्यक्तिगत रूप से वसूली योग्य राशि धारा 14 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

परंतु यह भी कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति जो ज़मानत के रूप में ऋण के लिए उत्तरदायी है, संयुक्त ऋणी नहीं माना जाएगा:

परंतु यह भी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की कोई भी बात ज़मानत के विरुद्ध ऋण वसूली के लिए मुकदमा शुरू करने से नहीं रोकेगी, लेकिन ऐसे मुकदमे में भू-स्वामी के विरुद्ध धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित या निर्धारित की जाने वाली राशि से अधिक राशि के लिए कोई डिक्री पारित नहीं की जाएगी:

[1][परंतु यह भी कि भू-स्वामी और ज़मानत से वसूली जाने वाली कुल राशि निर्धारित या निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी जिसका निर्धारण विशेष न्यायाधीश द्वारा भू-स्वामी के विरुद्ध किया जा सकता था।]

मृतक ऋणी के उत्तराधिकारियों के दायित्व का प्रभाजन

(6) यदि मृतक ऋणी के एक या अधिक, किन्तु सभी नहीं, उत्तराधिकारी, जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य नहीं हैं, धारा 4 के अधीन आवेदन करते हैं, तो विशेष न्यायाधीश मृतक ऋणी द्वारा देय ऋणों और उसकी संपत्ति का विभाजन उन उत्तराधिकारियों के बीच करेगा जिन्होंने आवेदन किया है और जिन्होंने नहीं किया है और धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऋण का वह भाग, जो आवेदन करने वाले उत्तराधिकारियों के हिस्से में आता है, उन्हें आवंटित संपत्ति से समाप्त कर दिया जाएगा और वे ऋण के उस भाग के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जो आवेदन में शामिल नहीं हुए उत्तराधिकारियों के हिस्से में आता है।

[2][****]

भूमि के लिए रिसीवर की नियुक्ति

[3][**9-क.** (1) यदि धारा 9 के अधीन नोटिस जारी होने के पश्चात किसी भी समय भू-स्वामी निम्नलिखित का समाधान करने में असफल रहता है:

(i) उस तिथि से पूर्व पारित किसी डिक्री के अधीन उस तिथि के पश्चात देय भरण-पोषण का दावा, या

(ii) उस तिथि के पश्चात पारित भरण-पोषण, मजदूरी या व्यावसायिक सेवाओं के दावे के संबंध में डिक्री।

तो कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा दावा उत्पन्न हुआ है या ऐसी डिक्री पारित की गई है, ऐसी डिक्री के अधीन देय राशि की वसूली के लिए परिसीमा अवधि के भीतर किसी भी समय विशेष न्यायाधीश को रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है और जब तक ऐसी डिक्री उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर संतुष्ट नहीं हो जाती, विशेष न्यायाधीश, जब तक कि उसकी राय में नियुक्ति द्वारा दावे का समाधान नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित का समाधान करेगा:

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या XI, 1939 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित,
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम IV, 1935 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम IX, 1939 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

धारा 9-ख के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति, भूमि पर भू-स्वामी के संपूर्ण स्वामित्व अधिकारों या ऐसे स्वामित्व अधिकारों के ऐसे भाग के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे किसी रिसीवर की नियुक्ति, पारिश्रमिक, कर्तव्य आदि सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 40 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे:

परन्तु उस आदेश के नियम 1 के उप-नियम (2) की कोई भी बात विशेष न्यायाधीश को इस धारा के अंतर्गत रिसीवर नियुक्त करने से नहीं रोकेगी।

(3) रिसीवर, भू-स्वामी को ऐसे भुगतानों के अधीन रहते हुए, जैसा विशेष न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया जा सकता है, अपने प्रभार के अधीन संपत्ति की आय से ऐसे दावे को पूरा करेगा।

(4) [आवेदक किसी भी समय रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को रद्द करने के लिए विशेष न्यायाधीश को आवेदन कर सकता है, और विशेष न्यायाधीश, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे सभी दावे बिना किसी असफलता के संतुष्ट हो गए हैं और भरण-पोषण के दावे के मामले में भविष्य में संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यू.पी. जमींदारी उन्मूलन [1][और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत सम्पदा के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप रिसीवर] की नियुक्ति जारी रखना अब आवश्यक नहीं है, तो रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर देगा।

(5) [2][****]

जिस तारीख को ऋण अंतिम रूप से धारा 23 या धारा 24 के तहत देनदारों को नकद भुगतान या धारा 25 के तहत बंधक के अनुदान द्वारा या धारा 27 के तहत किस्त के निर्धारण द्वारा या धारा 31 के तहत संपत्ति के हस्तांतरण द्वारा चुकाए जाते हैं, इस धारा के तहत विशेष न्यायाधीश की सभी शक्तियां कलेक्टर में निहित होंगे, और यदि रिसीवर नियुक्त करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश धारा 19 के तहत कलेक्टर को डिक्री भेजे जाने से पहले रद्द नहीं किए गए हैं, तो रिसीवर को, जब तक कि उसकी नियुक्ति कलेक्टर द्वारा रद्द नहीं की जाती है, कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया गया माना जाएगा।

(6) यदि कार्यवाही धारा 20 के तहत रद्द कर दी जाती है, या धारा 4 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो रिसीवर की नियुक्ति करने वाला आदेश रद्द कर दिया गया समझा जाएगा।]

गैर-भूमिगत भूमि के लिए रिसीवर की नियुक्ति के लिए प्रबंधन और संरक्षण हेतु निर्देश

[3][9-ख. (1) धारा 9 के अधीन नोटिस जारी होने के पश्चात किसी भी समय विशेष न्यायाधीश स्वप्रेरणा से या किसी लेनदार के आवेदन पर, और किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर जिसने उपधारा (1) के अधीन रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन किया हो, आदेश पारित कर सकेगा और निर्देश दे सकेगा। यदि धारा 9-क के अधीन कोई व्यक्ति ऋणी है और जिसका दावा अतृप्त रहता है, तो वह ऋणी की ऐसी संपत्ति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए, जो भूमि पर मालिकाना अधिकार नहीं है, और ऐसी संपत्ति की आय से ऐसे दावों की संतुष्टि के लिए, जो वह संपत्ति के प्रबंधन और संरक्षण के लिए निर्देश दे सकता है, न्यायसंगत और न्यायसंगत समझे वह आदेश दे सकेगा कि ऐसी संपत्ति की पूरी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. धारा 8.4 (2) द्वारा लोप किया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम XI, 1939 की धारा 5 द्वारा धारा 9-ख जोड़ा गया।

आय या उसका कोई भाग ऐसे दावे की संतुष्टि के लिए उपयोग किया जाए या ऋणी और उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए विनियोजित किया जाए और लेनदारों के लाभ के लिए ऐसी आय के शेष को संचित करने के लिए आवश्यक निर्देश देगा, और समय-समय पर ऐसे आदेशों में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा।

(2) यदि विशेष न्यायाधीश उपर्युक्त लेनदारों या दावेदारों के हित में इसे न्यायसंगत और सुविधाजनक समझता है या यदि उसकी राय है कि उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों के उचित क्रियान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह भूमि में स्वामित्व अधिकारों के अलावा, ऋणी की पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग का एक रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, और धारा 9-क की उपधारा (2) के उपबंध ऐसे रिसीवर पर लागू होंगे:

बशर्ते कि विशेष न्यायाधीश लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऋणी को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर तब भी अपने पद पर बना रहेगा, भले ही विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा 19 के अधीन कलेक्टर को भेज दिए गए हों, जब तक कि कलेक्टर लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसकी नियुक्ति के आदेश को ऐसी शर्तों पर रद्द या संशोधित न कर दे, जैसा वह उचित समझे। किसी भी स्थिति में, रिसीवर के पास संचित या उसके पास मौजूद कोई भी राशि कलेक्टर को हस्तांतरित कर दी जाएगी, जो ऐसी राशि को धारा 23 के उपबंधों के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान मानेगा।]

9-ग. [1][***]

कुछ विशेष मामलों में रिसीवर

[2]**[9-घ.** कलेक्टर, किसी लेनदार के आवेदन पर, किसी ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसका कब्जा धारा 35 के उपबंधों के अधीन दिया जा चुका है या दिया जा सकता है और यदि रिसीवर नियुक्त किया जाता है तो धारा 9-क की उपधारा [3]**[**(2) और (4)**]** के उपबंध और रिसीवर के हाथों में निधियों के निपटान के संबंध में धारा 9-ख की उपधारा (3) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

दावे में पूर्ण विवरण शामिल होना

10. (1) [4]**[**धारा 9**]** में निर्दिष्ट प्रत्येक दावेदार अपने दावे के लिखित कथन में उसका पूर्ण विवरण देगा और जहां तक वह उसे ज्ञात हो या उसके द्वारा निश्चित किया जा सके, भूमि पर भू-स्वामी के स्वामित्व अधिकारों की प्रकृति और सीमा और भूमि पर स्वामित्व अधिकारों के अलावा भू-स्वामी की संपत्ति की प्रकृति और सीमा, यदि कोई हो, का उल्लेख करेगा।

दिए जाने वाले दस्तावेज

(2) प्रत्येक दस्तावेज, जिस पर दावेदार अपना दावा आधारित करता है, या जिस पर वह अपने समर्थन में निर्भर करता है, लिखित कथन के साथ विशेष न्यायाधीश को सौंपा जाएगा या यदि विशेष न्यायाधीश ऐसा निर्देश दे तो किसी बाद की तारीख या तारीखों पर, जो उसके द्वारा समय-समय पर उस संबंध में निर्दिष्ट की जाएंगी।

1. 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या XIII की धारा 5 द्वारा लोप किया गया।
2. 1939 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या XI की धारा 5 के स्थान पर जोड़ा गया।
3. 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या XIII की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1935 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या IV की धारा 5 द्वारा क्रमशः "धारा 8" और "धारा 7" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पुस्तकों में प्रविष्टियाँ।

(3) यदि दस्तावेज़ किसी पुस्तक में प्रविष्टि है, तो दावेदार को उस पुस्तक को विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, साथ ही उस प्रविष्टि की एक प्रति भी जिस पर वह निर्भर करता है। विशेष न्यायाधीश पहचान के उद्देश्य से पुस्तक पर निशान लगाएगा और [1][प्रतिलिपि की जाँच और मूल प्रति से मिलान] करने के बाद, पुस्तक दावेदार को वापस कर देगा।

प्रस्तुत न किए गए दस्तावेजों का अपवर्जन।

(4) यदि दावेदार के कब्जे या नियंत्रण में कोई दस्तावेज़ इस धारा के अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो विशेष न्यायाधीश मामले की जाँच के दौरान दावेदार की ओर से उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।

भू-स्वामी की कथित संपत्ति और उस पर दावों के निर्धारण को निर्दिष्ट करने वाली सूचना।

11. (1) विशेष न्यायाधीश [2][धारा 9] में निर्दिष्ट तरीके से एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें धारा 8 के तहत आवेदक द्वारा या धारा 10 के तहत किसी दावेदार द्वारा उल्लिखित संपत्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) ऐसे नोटिस में उल्लिखित संपत्ति पर कोई भी दावा रखने वाला कोई भी व्यक्ति, [3][राजपत्र] में नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, अपने दावे को बताते हुए विशेष न्यायाधीश को एक आवेदन करेगा और विशेष न्यायाधीश यह निर्धारित करेगा कि दावे में निर्दिष्ट संपत्ति, या उसका कोई हिस्सा, आवेदकों के ऋणों की संतुष्टि के लिए कुर्क किया जाना है या बंधक रखा जाना है।

[बशर्ते कि यदि दावेदार विशेष न्यायाधीश को संतुष्ट करता है कि उसके पास उपरोक्त अवधि के भीतर अपना आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था, तो विशेष न्यायाधीश [4][अध्याय 5 के तहत] ऋण के परिसमापन से पहले किसी भी समय ऐसा आवेदन, यदि प्रस्तुत किया गया हो, प्राप्त कर सकता है]।

(3) विशेष न्यायाधीश धारा 14 के अधीन किसी लेनदार को देय राशि का निर्धारण करने से पहले इस धारा के अधीन किए गए सभी दावों का निर्धारण करेगा और इस धारा के अधीन दावे का निर्धारण करने के अंतिम दिन के पश्चात एक मास की अवधि समाप्त होने तक उस धारा के अधीन कोई डिक्री पारित नहीं करेगा।

(4) इस धारा के अधीन विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई भी आदेश सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा।

कुछ मामलों में भू-स्वामी द्वारा हस्तांतरण को रद्द करना।

12. इस अधिनियम के प्रथम अध्याय के लागू होने के दिन और धारा 4 के अधीन आवेदन करने के दिन के बीच किसी भू-स्वामी या उसकी ओर से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण, जो विवाह से पूर्व और उसके प्रतिफल में किया गया हस्तांतरण न हो या किसी क्रेता या भारग्रस्तों के पक्ष में सद्भावनापूर्वक और मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया गया हस्तांतरण न हो, किसी भी लेनदार के कहने पर रद्द किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायाधीश को पता चलता है कि ऐसा हस्तांतरण भू-स्वामी के लेनदारों को इस अधिनियम के अधीन उनके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से किया गया था।

---

1. 1939 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XI की धारा 12 द्वारा "प्रतिलिपि की जाँच और तुलना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1935 के उत्तर प्रदेश अधिनियम IV की धारा 5 द्वारा क्रमशः "धारा 8" और "धारा 7" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1937 के ए.ओ. द्वारा "गज." के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

विधिवत अधिसूचित न किए गए दावे को उन्मोचित माना जाएगा

1912 का अधिनियम 2

13. सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अंतर्गत पंजीकृत किसी सहकारी समिति को देय ऋण के अलावा, किसी निजी ऋण के संबंध में, उसके सदस्यों द्वारा, भू-स्वामी के विरुद्ध किया गया या न किया गया प्रत्येक दावा, जब तक कि वह इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित समय और रीति के भीतर न किया गया हो, सभी प्रयोजनों और सभी अवसरों के लिए विधिवत उन्मोचित माना जाएगा।

दावों की जाँच और ऋणों की राशि का निर्धारण

14. (1) विशेष न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा [2][धारा 9] के अनुसार प्रकाशित नोटिस के अनुसरण में किए गए [1][दावों] की जांच के लिए एक तिथि नियत करेगा और ऐसी तिथि की सूचना [3][सभी दावेदारों और धारा 4 के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति को देगा।]

(2) विशेष न्यायाधीश प्रत्येक दावे की जांच करेगा और ऐसे पक्षकारों को, जो सुनवाई चाहते हैं, सुनने के पश्चात् और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् धारा 4 के अधीन आवेदन की तिथि को भू-स्वामी से दावेदार को देय राशि, यदि कोई हो, निर्धारित करेगा।

(3) किसी वाद या कार्यवाही में, जिस पर [4][धारा 7] की उपधारा (1) के अधीन रोक लगा दी गई है, अभिलिखित सभी साक्ष्य को विशेष न्यायाधीश अपने समक्ष अभिलिखित साक्ष्य के रूप में ले सकेगा।

(4) प्रत्येक दावे की जाँच करते समय विशेष न्यायाधीश को उस न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा जिसमें देय धनराशि की वसूली के लिए वाद लंबित होगा और वह विवाद्यक प्रश्नों का निर्णय उन्हीं सिद्धांतों पर करेगा जिन पर ऐसा न्यायालय उनका निर्णय करेगा, निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए, अर्थात्

(क) आवेदन की तिथि को देय मानी जाने वाली ब्याज की राशि मूलधन के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो आवेदन की तिथि को भी देय पाया जा सकता है:

(ख) सूदखोरी ऋण अधिनियम, 1918 के उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(ग) संयुक्त प्रांत कृषक सहायता अधिनियम, 1934 के उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे।

(5) उप-धारा (4) के खंड (क) के अधीन मूलधन का पता लगाने के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश किसी भी संचित ब्याज को मूलधन मानेगा जो किसी विवरण या खाते के निपटान या लेन-देन के दौरान [5][31 दिसंबर, 1916 को या उससे पहले] किए गए किसी अनुबंध द्वारा मूलधन में परिवर्तित हो गया हो।

[6][**स्पष्टीकरण**- ब्याज जो 31 दिसंबर, 1916 को या उससे पहले संविदा की स्पष्ट शर्तों के तहत मूलधन का हिस्सा बन जाता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मूलधन मानी जाएगी।]

1. 1939 के यू.पी. अधिनियम XI की धारा 14 द्वारा "प्रत्येक दावे" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1935 के यू.पी. अधिनियम IV की धारा 5 द्वारा "धारा 8" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1939 के यू.पी. अधिनियम XI की धारा 14 द्वारा "दावेदार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1935 के यू.पी. अधिनियम IV की धारा 5 द्वारा "धारा 9" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1939 के यू.पी. अधिनियम XI की धारा 14 द्वारा "31 दिसंबर, 1916 से पहले" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1939 की धारा XI द्वारा अंतःस्थापित।

(6) उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन मूलधन का पता लगाने के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायाधीश किसी भी संचित ब्याज को मूलधन नहीं मानेंगे, जो 31 दिसंबर, 1916 के बाद किसी विवरण या लेखा-समाधान या लेन-देन के दौरान किए गए किसी अनुबंध द्वारा मूलधन में परिवर्तित हो गया हो।

विशेष न्यायाधीश की डिक्री

(7) यदि विशेष न्यायाधीश पाते हैं कि-

(क) कोई राशि देय नहीं है, तो वह भू-स्वामी के पक्ष में खर्च के लिए एक डिक्री पारित कर सकते हैं;

(ख) यदि दावेदार को कोई राशि देय है, तो वह -

(i) उत्तर प्रदेश भू-स्वामी ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1952 की धारा 3 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी राशि के लिए एक साधारण धन डिक्री पारित करेगा, साथ ही ऐसे किसी भी खर्च के लिए जो वह अपने न्यायालय में कार्यवाहियों के संबंध में और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रोके गए किसी न्यायालय में कार्यवाहियों के संबंध में अनुमन्य कर सकता है, साथ ही 4% प्रतिवर्ष से अनधिक दर पर ऋण और अतिरिक्त ब्याज भी देगा; और

(ii) ऐसी डिक्री की राशि, यदि कोई हो, को भी प्रमाणित करेगा, जो उत्तर प्रदेश जमींदार ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1952 की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार, भू-स्वामी को देय प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान से अन्यथा विधिक रूप से वसूली योग्य नहीं है:

[1][परंतु किसी ऋण के मामले में, जहां ऋणदाता का ऋणी की संपत्ति के किसी भाग पर उस अवधि के लिए, जब तक वह उस पर कब्जा में था, ऐसे ऋण पर देय ब्याज के बदले में कोई ऋण न्यूनीकरण ब्याज अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। (8) उपधारा (7) के अधीन पारित प्रत्येक डिक्री सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की डिक्री मानी जाएगी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही उत्तर प्रदेश के भीतर निष्पादनीय होगी।]

विद्यमान डिक्री के संबंध में व्यावृत्ति

15. किसी डिक्री के अधीन रहे ऋण के आधार पर देय राशि का निर्धारण करते समय, विशेष न्यायाधीश उस न्यायालय के निष्कर्षों को स्वीकार करेगा जिसने डिक्री पारित की थी, सिवाय इसके कि वे धारा 14 [2][या उत्तर प्रदेश भू-स्वामी ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1952 की धारा 4] के उपबंधों से असंगत हों:

परन्तु विशेष न्यायाधीश किसी डिक्री के अधीन किसी दावे का निर्धारण तब तक नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी डिक्री के विरुद्ध दायर अपील या पुनरीक्षण का अंतिम रूप से निर्णय न हो जाए या अपील के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो जाए, और ऐसे सभी मामलों में विशेष न्यायाधीश के निष्कर्ष अंतिम डिक्री पर आधारित होंगे।

प्राथमिकता के आधार पर ऋणों का क्रम

16. विशेष न्यायाधीश सभी ऋणों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करेगा, बशर्ते कि निम्नलिखित श्रेणियों में से पहले वाले ऋणों को बाद वाली श्रेणियों के ऋणों पर प्राथमिकता दी जाएगी:

---

1. 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII की धारा 9 द्वारा जोड़ा गया।

वर्ग (1) आगरा काश्तकारी अधिनियम, 1926[1], अवध किराया अधिनियम, 1886[2] और भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 के अंतर्गत वसूली योग्य ऋण;

वर्ग (2) सरकार को देय लोक ऋण और किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अचल संपत्ति पर भार सृजित करने के कारण सार्वजनिक ऋण;

वर्ग (3) संपत्ति पर प्रतिभूत ऋण, जिसके विरुद्ध कलेक्टर धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षा के मूल्य तक कार्रवाई कर सकता है;

[3][वर्ग (3-क) प्रतिभूत ऋण जो भू-स्वामी को देय मुआवजे और पुनर्वास अनुदान के अलावा कानूनी रूप से वसूल नहीं किए जा सकते]

वर्ग (4) अन्य प्रतिभूत ऋण;

वर्ग (5) आपूर्ति की गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के कारण देय ऋण; और

वर्ग (6) किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय अप्रतिभूत ऋण; वर्ग (3) में आने वाले ऋण, प्रतिभूति और अन्य अप्रतिभूत ऋणों के मूल्य से अधिक।

कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट किए गए लोक ऋणों की राशि का निर्धारण

17. (1) यदि धारा 6 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट किए गए किसी लोक ऋण की राशि विवादित है और यदि उस ऋण की राशि निर्धारित करने के लिए किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, तो विशेष न्यायाधीश, आवश्यक जाँच के पश्चात, ऐसे विवाद का निर्धारण करेगा।

(2) यदि लोक ऋण की राशि निर्धारित करने के लिए किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है, तो ऋण की राशि के बारे में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

विशेष न्यायाधीश के निष्कर्ष का प्रभाव

18. अध्याय VI में प्रदत्त अपील या पुनरीक्षण के अधिकार के अधीन रहते हुए, धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन विशेष न्यायाधीश की डिक्री का प्रभाव दावेदार के पूर्व विद्यमान अधिकारों, यदि कोई हों, के साथ-साथ बंधक या ग्रहणाधिकार के सभी अधिकारों, यदि कोई हों, को समाप्त करना होगा, जिसके द्वारा वे सुरक्षित हैं और, जहाँ विशेष न्यायाधीश द्वारा उन अधिकारों के स्थान पर डिक्री दी जाती है, वहाँ डिक्री की राशि को इसके बाद निर्धारित तरीके और सीमा तक वसूल करने का अधिकार होगा:

[4][परन्तु प्रतिभूत ऋण, जो उत्तर प्रदेश भू-स्वामी ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1952 की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार, भू-स्वामी को देय प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान के अलावा कानूनी रूप से वसूल करने योग्य नहीं हैं, पूर्वोक्त प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान से वसूल किए जाएँगे मानो प्रतिभूति समाप्त नहीं हुई हो।]

---

1. उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939+ (उत्तर प्रदेश अधिनियम XVII, 1939) द्वारा निरसित 1939) उन क्षेत्रों के संबंध में छोड़कर जिन पर यह लागू नहीं होता है।
2- अब देखें: उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939 (उत्तर प्रदेश अधिनियम XVII, 1939)।
3 उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 10 द्वारा जोड़ा गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 11 द्वारा जोड़ा गया।

डिक्रियों का कलेक्टर को प्रेषण।

19. (1) विशेष न्यायाधीश धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन प्रदान की गई डिक्रियों को अगले अध्याय के उपबंधों के अनुसार निष्पादन हेतु कलेक्टर को भेजेगा। विशेष न्यायाधीश कलेक्टर को उस क्रम की भी सूचना देगा जिसमें उसने ऋणों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध किया है।

[1][(2) विशेष न्यायाधीश कलेक्टर को सूचित करेगा –

(क) प्रतिभूत ऋण की उस राशि की, जो बंधक संपदा के संबंध में भू-स्वामी को देय प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान के अलावा विधिक रूप से वसूली योग्य नहीं है; और

(ख) धारा 11 के अधीन सूचना में उल्लिखित संपत्ति की प्रकृति और सीमा की, जिसे उसने आवेदन के ऋणों की तुष्टि में कुर्की या विक्रय के लिए उत्तरदायी पाया है।][1]

कलेक्टर को प्रेषित डिक्री में संशोधन

[2]**[19-क.** जहाँ विशेष न्यायाधीश द्वारा उत्तर प्रदेश ऋणग्रस्त सम्पदा (संशोधन) अधिनियम, 1954 के लागू होने से पहले कोई डिक्री पारित की गई हो और डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट न हुई हो, वह किसी सुरक्षित ऋण के संबंध में हो, जिस पर उत्तर प्रदेश ज़मींदार ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1952 लागू होता है, वहाँ विशेष न्यायाधीश उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऋण की राशि में कमी करने पर-

(क) इस प्रकार की गई कटौती की सूचना कलेक्टर को देगा; और

(ख) पूर्वोक्त डिक्री की उस राशि को, यदि कोई हो, प्रमाणित करेगा जो बंधक सम्पदा के संबंध में भू-स्वामी को देय प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान से अन्यथा विधिक रूप से वसूली योग्य नहीं है;

और धारा 19 के अधीन कलेक्टर को प्रेषित डिक्री तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।]

कार्यवाहियों का रद्द करना

20. आवेदक, विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 11 के अधीन किसी दावे पर निर्णय दिए जाने के दिन से एक माह की अवधि के भीतर किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा और विशेष न्यायाधीश ऐसी कार्यवाही को रद्द करेगा तथा अपने समक्ष कार्यवाही के खर्चों के संबंध में ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे, परंतु कार्यवाही रद्द करने का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि भू-स्वामी ऐसे आदेश के एक माह के भीतर विशेष न्यायाधीश द्वारा इस धारा के अधीन आदेशित किसी भी खर्च की राशि न्यायालय में जमा नहीं कर देता।

20-क. [3][(1) इस अधिनियम में किसी बात या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में पारित किसी आदेश के होते हुए भी,

(i) कोई आवेदन जो केवल धारा 4 की उपधारा (6) में उल्लिखित आधारों में से किसी एक पर खारिज कर दिया गया था, बहाल कर दिया जाएगा और कोई आवेदन जो केवल किसी त्रुटि के आधार पर खारिज कर दिया गया था, धारा 4 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार संशोधित किया जाएगा;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 12 द्वारा जोड़ा गया।
2. उपरोक्त की धारा 13 द्वारा जोड़ा गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम XI, 1939 की धारा 22 द्वारा जोड़ा गया।

(ii) कोई भी पुनर्विलोकनाधीन कार्यवाही, जिस पर धारा 7 के खंड (क) या खंड (ख) या उपधारा (1) के प्रावधान लागू होते हैं और जिसे रोक दिया गया था या खारिज कर दिया गया था, बहाल कर दी जाएगी;

(iii) कोई भी वाद या कार्यवाही, जिस पर धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधान लागू होते हैं और जिसे खारिज कर दिया गया था, उस उपधारा के खंड (क) के प्रावधानों के तहत रोक दी गई मानी जाएगी;

(iv) यदि धारा 14 के प्रावधानों के तहत किसी दावे के निर्धारण में किसी भी ब्याज को केवल इस आधार पर मूलधन नहीं माना गया है;

कि इसे 31 दिसंबर, 1916 को मूलधन में परिवर्तित कर दिया गया था, या इस आधार पर कि इसे 31 दिसंबर, 1916 को या उससे पहले मूलधन में परिवर्तित कर दिया गया था, मूल अनुबंध में एक स्पष्ट शर्त के अनुसार, ऐसे दावे के तहत देय राशि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी;

(v) धारा 14 की उपधारा (7) के परन्तुक के अनुसार पारित आदेश के अलावा अन्य किसी आदेश को रद्द कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के खंड (iv) के उपबंधों के अधीन कोई राशि पुनः निर्धारित नहीं की जाएगी और उसके खंड (v) के उपबंधों के अधीन कोई आदेश रद्द नहीं किया जाएगा, यदि डिक्री धारा 19 के उपबंधों के अधीन कलेक्टर को भेजी गई है, सिवाय विशेष न्यायाधीश को तीस नवंबर, 1939 से पूर्व किए गए आवेदन के।][1]

अध्याय V

कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट न किए गए लोक ऋणों की राशि का निर्धारण

कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट न किये गए लोक ऋणों का निर्धारण

21. कलेक्टर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर सुनवाई के पश्चात, ऐसे लोक ऋण की राशि निर्धारित करेगा, जिसकी रिपोर्ट धारा 6 के अधीन नहीं की गई है और जिसका इस संबंध में [राज्य सरकार][2] द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस अध्याय के अधीन परिसमापन किया जाना है।

ऋणों के भुगतान की अवधि

22. कलेक्टर, ऋणी को दो महीने की अवधि देगा जिसके भीतर वह न्यायालय में देय राशि का पूरा या उसका कोई भाग जमा कर सकेगा।

ऋणी द्वारा भुगतान की गई धनराशि के माध्यम से ऋणों का परिसमापन

23. (1) यदि उक्त अवधि की समाप्ति पर ऋणी ने न्यायालय में देय पूरी राशि जमा कर दी है, तो कलेक्टर उसके सभी ऋणों का भुगतान कर देगा।

(2) यदि उक्त अवधि की समाप्ति पर ऋणी ने न्यायालय में देय पूरी राशि जमा नहीं की है, तो कलेक्टर भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, को प्राथमिकता के क्रम में ऋणों के भुगतान में खर्च करेगा और निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों के अनुसार बकाया शेष राशि का परिसमापन करने की कार्यवाही करेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम 11, 1939 की धारा 22 द्वारा जोड़ा गया।

2. ए.ओ. 1950 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के लिए जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के लिए प्रतिस्थापित।

मुआवजा और पुनर्वास अनुदान कलेक्टर के अधीन रखा जाएगा

[1]**[23-क.** कलेक्टर, प्रतिकर अधिकारी और पुनर्वास अनुदान अधिकारी से, जैसा आवश्यक हो, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 70 के अनुसरण में, धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी बताई गई भूमि में भू-स्वामी को उसके मालिकाना अधिकारों के संबंध में देय प्रतिकर राशि और पुनर्वास अनुदान की राशि अपने पास रखने की अपेक्षा करेगा।

मुआवजा और पुनर्वास अनुदान से वसूल किए जाने वाले सुरक्षित ऋण का परिसमापन

23-ख. (1) उत्तर प्रदेश भू-स्वामी ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1952 की धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 23-क के अधीन अधिग्रहण के अनुसरण में कलेक्टर द्वारा प्राप्त प्रतिकर या पुनर्वास अनुदान के मद में प्राप्त धनराशि या बांड का उपयोग कलेक्टर द्वारा उस सुरक्षित ऋण की धनराशि के परिसमापन में किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश भू-स्वामी ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1952 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उस भूमि के स्वामित्व अधिकारों पर सुरक्षित था जिसके संबंध में ऐसी धनराशि प्राप्त हुई है।

(2) यदि धारा 23-क के अधीन अधिग्रहण के अनुसरण में कलेक्टर द्वारा प्राप्त प्रतिकर या पुनर्वास अनुदान में से कोई शेष राशि उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपयोग करने के पश्चात् कलेक्टर की भूमि में शेष रह जाती है, तो ऐसी शेष राशि का उपयोग कलेक्टर द्वारा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट ऋणों के अलावा, प्राथमिकता क्रम में ऋणों के भुगतान में किया जाएगा।][1]

ऋण या संपत्ति के मूल्य की वसूली और ऋणों के परिसमापन के लिए आगम का उपयोग

[2]**[24.** (1) कलेक्टर तब देनदार की ऐसी संपत्ति का मूल्य वसूल करेगा, जो भूमि में मालिकाना अधिकार से भिन्न है, लेकिन इसमें उन क्षेत्रों में भूमि में मालिकाना अधिकार शामिल हैं, जो 7 जुलाई, 1949 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के तहत किसी नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र या छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत किसी छावनी या उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के तहत किसी नगर क्षेत्र में शामिल थे, जिनके बारे में धारा 19 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी होने की रिपोर्ट की गई है:

बशर्ते कि कलेक्टर किसी संपत्ति की बिक्री के इस धारा के तहत आदेश पारित करने से पहले देनदार की उस संपत्ति की बिक्री पर कोई भी आपत्ति सुनेगा:

बशर्ते यह भी कि, इस अधिनियम की किसी अन्य धारा में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर यदि वह उचित समझे, तो इस धारा के तहत निपटाए गए किसी भी भवन के साथ, आवेदक के स्वामित्व अधिकार, जो ऐसी इमारत या उससे संबद्ध भूमि पर अधिभोग में हैं।

इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ऋणी के लिए कम से कम एक आवासीय भवन और उसका आवश्यक फर्नीचर छोड़ेगा यदि--

(क) ऋणी ऐसे भवन और फर्नीचर का स्वामी है और उसे अपने पास रखना चाहता है, और

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 5.14 द्वारा जोड़ा गया,
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम IV, 1935 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) ऐसा मकान और फर्नीचर किसी भी बंधक या प्रभार से मुक्त है।][1]

(2) इस प्रकार प्राप्त राशि कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता के क्रम में ऋणों के भुगतान में व्यय की जाएगी।

(3) [2]**[उत्तर प्रदेश]** के बाहर की संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री कलेक्टर के पक्ष में डिक्री मानी जाएंगी।

(4) इस धारा के अंतर्गत देनदार की संपत्ति का मूल्य वसूल करने के लिए कलेक्टर डिक्री के निष्पादन हेतु सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

25. [3]**[***]**

26. [3]**[***]**

27. [3]**[***]**

28. [3]**[***]**

किस्त के भुगतान और बकाया राशि की वसूली की विधि।

29. (1) धारा 27 या धारा 28 के अंतर्गत आदेशित किस्तें देनदार द्वारा राज्य सरकार को उसके भू-राजस्व और उपकर के साथ चुकाई जाएंगी और देय तिथि पर भुगतान न की गई ऐसी कोई भी किस्त भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(2) यदि किन्हीं दो क्रमवर्ती किस्तों की पूरी राशि, ऐसी किस्त की दूसरी किस्त के देय होने की तिथि से छह महीने के भीतर भुगतान नहीं की गई है, तो देनदार से देय शेष पूरी राशि, [4][राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

(3) संयुक्त प्रांत प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, 1912 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिपाल्य अधिकरण [4][राज्य सरकार] के अनुरोध पर किसी ऐसे ऋणी की संपत्ति का भार ग्रहण करेगा, जिसे धारा 27 या धारा 28 के तहत किश्तों का भुगतान करने का आदेश दिया गया है और जिसने ऐसी किश्तों में से दूसरी किश्त देय होने की तारीख से छह महीने के भीतर लगातार दो किश्तों का भुगतान नहीं किया है।

30. [5]**[***]**

31. [5]**[***]**

32. [5]**[***]**

33. [5]**[***]**

34. [5]**[***]**

संपत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को कब्जा दिया जाना।

35. यदि धारा 19 के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई डिक्री कलेक्टर को भेजे जाने के बाद किसी भी समय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति कलेक्टर से ऐसी संपत्ति पर कब्जा दिए जाने के लिए आवेदन करता है, तो कलेक्टर उसे ऐसी संपत्ति का कब्जा सौंप देगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. ए.ओ. 1950 द्वारा संयुक्त प्रांत के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. यू.पी. अधिनियम XIII, 1954 की धारा 16 द्वारा लोप किया गया।
4. ए.ओ. 1950 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. यू.पी. अधिनियम XIII, 1954 की धारा 16 द्वारा लोप किया गया।

36. [1]**[***]**

37. [1]**[***]**

38. [1]**[***]**

39. [1]**[***]**

40. [1]**[***]**

41. [1]**[***]**

42. [1]**[***]**

धारा 20 के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने के परिणाम

43. [2][जब धारा 8 की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदन खारिज कर दिया गया हो, (या) जब धारा 20 के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्यवाही को रद्द करने का आदेश पारित किया गया हो, तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् -

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी:

(ख) धारा 18 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 के अंतर्गत दायर किए गए बयानों में उल्लिखित सभी अधिकार और उपचार और कार्यवाही रोक दी गई थी [3][और संपत्तियों की सभी कुर्कियां, जो [4][धारा 7] की उपधारा (1) के अंतर्गत शून्य और अमान्य हो गई थीं, लेनदारों को इस प्रकार पुनर्जीवित कर दी जाएंगी मानो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई थी; और

(ग) ऋणों की वसूली के लिए किसी वाद या अन्य कार्यवाही के लिए निर्धारित सीमा अवधि की गणना करने में, जिसके संबंध में धारा 10 के तहत एक लिखित बयान दायर किया गया है, [5][धारा 6 के तहत कलेक्टर के आर्डर] की तारीख से अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही को रद्द करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश की तारीख तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा;

(घ) किसी दावे के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही के लिए निर्धारित सीमा अवधि की गणना करने में, जो धारा 11 के तहत विशेष न्यायाधीश के समक्ष कहा गया है, उस धारा की उप-धारा (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश की तारीख तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

[6]**[44.** (1) निम्नलिखित में से प्रत्येक मामले में, अर्थात् -

[7]**[**(क) जब धारा 23, धारा 23-ख या धारा 241 के तहत ऋण का परिसमापन किया गया है।

(ख) [8]**[***]**

---

1. धारा द्वारा लोप करें। यू.पी. अधिनियम XIII, 1954 की धारा 16 द्वारा लोप किया गया।
2. यू.पी. अधिनियम IV, 1935 की धारा 7 (1) द्वारा जोड़ा गया।
3. यू.पी. अधिनियम XI, 1939 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित।
4. यू.पी. अधिनियम IV, 1935 की धारा 5 के स्थान पर (धारा 9) प्रतिस्थापित।
5. 1935 के उत्तर प्रदेश अधिनियम IV की धारा 7 (2) द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन हेतु "के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1939 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XI की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII की धारा 17 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII की धारा 17 (2) द्वारा लोप किया गया।

(ग) [1]**[***]**

[2][(घ) जब धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त डिक्री या डिक्रीज़ न्यायालय के बाहर समझौते द्वारा पूर्णतः संतुष्ट कर दी गई हों, और धारा 21 के अधीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित लोक ऋण, यदि कोई हो, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया हो।]

(2) जब कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है या अधिनियम के अधीन कार्यवाही रद्द कर दी जाती है, तो भू-स्वामी, आवेदन खारिज करने वाले या कार्यवाही रद्द करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश की तिथि से धारा 7 की उपधारा (3) में उल्लिखित निर्योग्यताओं के अधीन नहीं रहेगा।

(3) सीमा अधिनियम, या धारा 7 की उपधारा (2) और (3) के अधीन रोकी गई किसी डिक्री के निष्पादन के लिए किसी आवेदन हेतु विहित सीमाओं की अवधि की गणना करने में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उन उपधाराओं में निर्दिष्ट डिक्री की तारीख से इस धारा की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की तारीख या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश के आदेश तक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

अध्याय VI

अपील और पुनरीक्षण

अपीलें

45. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रथम श्रेणी के विशेष न्यायाधीश के मामले का [4][अंतिम रूप] से निपटारा करने वाली किसी [3][***] डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय [5][***] में की जा सकेगी। इस उपधारा के अधीन अपील की सीमा अवधि नब्बे दिन होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन विद्यालय श्रेणी के विशेष न्यायाधीश के मामले का अंतिम रूप से निपटारा करने वाली किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध [6][***] अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष की जा सकेगी। इस उपधारा के अधीन अपीलों की परिसीमा अवधि तीस दिन होगी।

[7][(2-क) उपधारा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा पारित अपीलीय आदेश या डिक्री के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में उल्लिखित एक या अधिक आधारों पर उच्च न्यायालय [3][***] में अपील की जा सकेगी। इस उपधारा के अधीन अपीलों की परिसीमा अवधि नब्बे दिन होगी।

[8][(3) इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जा सकेगी, बशर्ते कि संयुक्त प्रांत भारग्रस्त संपदा (संशोधन) अधिनियम, 1943 के प्रारंभ से पूर्व दायर की गई अपील

1. 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII की धारा 17 (2) द्वारा लोप किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1946 की धारा 3.2 द्वारा जोड़ा गया।
3. "निर्णय" शब्द का लोप 1939 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 11 की धारा 19 द्वारा किया गया।
4. पूर्वोक्त की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. ए.ओ. 1950 द्वारा (या मुख्य न्यायालय, जैसा भी मामला हो) शब्दों का लोप किया गया।
6. 1939 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 11 की धारा 19 द्वारा लोप किया गया।
7. 1939 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 11 की धारा 19 द्वारा जोड़ा गया।
8. 1943 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 10 की धारा 2(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

राजस्व बोर्ड के अधीन होगा।][1] इस उपधारा के अंतर्गत अपीलों की परिसीमा अवधि साठ दिन होगी।

[2][(3-क) राजस्व बोर्ड अपने समक्ष लंबित किसी अपील को निर्णय के लिए किसी आयुक्त को स्थानांतरित कर सकता है और स्थानांतरित किसी अपील को आदेश द्वारा वापस मंगवा सकता है। राजस्व बोर्ड किसी आयुक्त के समक्ष लंबित किसी अपील को किसी अन्य आयुक्त को स्थानांतरित कर सकता है।

(4) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 5 और 12 के प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलों पर लागू होंगे।

(5) [उपधारा (2-क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए] इस धारा के अधीन किसी अपील पर निर्णय अंतिम होगा, तथा अपील का विनिश्चय करते समय अपील न्यायालय विशेष न्यायाधीश के किसी आदेश या डिक्री को संशोधित, परिवर्तित या उलट सकता है, यदि अपील न्यायालय की राय में न्याय और समता के हित में ऐसा करना आवश्यक हो।][3]

कार्यवाही मंगाने और उस पर आदेश पारित करने की शक्ति।

46.[4][(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई के लिए धारा 45 की उपधारा (1), (2) और (2-क) के अधीन सशक्त कोई न्यायालय स्वप्रेरणा से, या किसी संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे मामले में कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है जो उस न्यायालय में लंबित हो, जिससे अपीलें ऐसे न्यायालय में आती हैं और संबंधित पक्षों को समुचित सूचना देने के पश्चात् उस पर इसमें निहित उपबंधों के अनुरूप ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे, और ऐसा आदेश अंतिम होगा।

(2) राजस्व बोर्ड, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी आधार पर संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा दायर किए गए आवेदन पर, या किसी भी समय किसी भी पर्याप्त कारण से स्वप्रेरणा से, इस अधिनियम के तहत किसी भी मामले की कार्यवाही का रिकॉर्ड मांग सकता है, जो किसी कलेक्टर, निपटान अधिकारी या आयुक्त के न्यायालय में लंबित है, या उनके द्वारा तय किया गया है और संबंधित पक्षों को नोटिस देने के बाद इसमें निहित प्रावधानों के अनुरूप ऐसा आदेश पारित करता है जैसा वह ठीक समझता है, और ऐसा आदेश अंतिम होगा।

[5]**[46-क.** जिला न्यायाधीश स्वप्रेरणा से या किसी संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर किसी भी वैध और पर्याप्त कारण से द्वितीय श्रेणी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित किसी भी मामले को प्रथम श्रेणी के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है और निर्देश देगा कि उत्तरार्द्ध उस मामले को उसी चरण से आगे बढ़ाएगा जिस पर इसे स्थानांतरित किया गया था।

कार्यवाहियों पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा

47. धारा 45 और 46 में प्रदान की गई के अलावा, इस अधिनियम के तहत कलेक्टर या विशेष न्यायाधीश की कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

---

1. "इस अधिनियम के अधीन किसी कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व बोर्ड को की जाएगी" के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1943 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपरोक्त की धारा 2(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1959 की धारा 19 द्वारा जोड़ा गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1943 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1939 की धारा 20 द्वारा जोड़ा गया।

अध्याय VII

विविध

दिवालियापन कार्यवाही।

48. धारा 4 के अधीन आवेदन की तिथि से लेकर उस तिथि तक जब कलेक्टर [1][धारा 23-ख या धारा 24] के अधीन ऋणों का पूर्ण रूप से परिसमापन कर देता है

(क) कोई भी लेनदार भू-स्वामी के विरुद्ध दिवालियेपन याचिका प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा;

और

(ख) भू-स्वामी यह याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उसे दिवालिया घोषित किया जाए और यदि वह ऐसा करता है, तो दिवालियेपन कार्यवाही लंबित रहने तक इस अधिनियम के अधीन कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) [2]**[****]**

विरासत में मिले ऋणों के मामले में अधिनियम का सीमित अनुप्रयोग

49. (1) यदि किसी भू-स्वामी के ऋण उसके मृत पूर्वज से प्राप्त ऋण हैं, जो विधिक रूप से केवल भू-स्वामी के कब्जे में स्थित किसी संपत्ति से ही वसूल किए जा सकते हैं, तो इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत केवल ऐसी संपत्ति पर ही विचार किया जाएगा, भू-स्वामी की किसी अन्य संपत्ति पर नहीं; और इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में भू-स्वामी की संपत्ति के सभी संदर्भ केवल ऐसी संपत्ति के संदर्भ माने जाएँगे, किसी अन्य संपत्ति के संदर्भ में नहीं।

प्रक्रिया, जब विरासत में मिले ऋण के संबंध में आवेदन व्यक्तिगत ऋण के अधीन पाया जाता है

(2) यदि जाँच के दौरान यह साबित हो जाता है कि किसी भू-स्वामी ने, जिसने केवल अपने मृत पूर्वज से प्राप्त ऋणों के संबंध में इस अधिनियम के लागू होने के लिए आवेदन किया है, ऐसे पूर्वज से प्राप्त किसी संपत्ति को विनियोजित कर लिया है या उसके पास अन्य ऋण भी हैं, जो उससे व्यक्तिगत रूप से वसूल किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में दावे प्रस्तुत किए गए हैं। [3][धारा 9 के तहत] विशेष न्यायाधीश उसे या तो अपना आवेदन वापस लेने या पूर्वोक्त रूप में उसके द्वारा विनियोजित किसी संपत्ति के व्यक्तिगत ऋण और मूल्य का भुगतान करने या इस अधिनियम के तहत अपनी पूरी संपत्ति का निपटारा कराने का विकल्प देगा। यदि वह अपना आवेदन वापस लेता है तो इस अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही रद्द कर दी जाएंगी। यदि वह अपने व्यक्तिगत ऋण और उसके द्वारा विनियोजित किसी संपत्ति के मूल्य का भुगतान करने का विकल्प चुनता है तो विशेष न्यायाधीश उसे ऐसा करने के लिए उतना समय देगा जितना वह आवश्यक समझे और भू-स्वामी द्वारा भुगतान करने पर मामले को आगे बढ़ाएगा। यदि भू-स्वामी विशेष न्यायाधीश द्वारा अनुमत समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। यदि भू-स्वामी इस अधिनियम के तहत अपनी पूरी संपत्ति का निपटारा कराने का विकल्प चुनता है, तो विशेष न्यायाधीश उससे ऐसी सभी संपत्ति का विवरण देने की अपेक्षा करेगा और दावेदारों को धारा 10 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का और विवरण देने का एक और अवसर देने के बाद ऐसी संपत्ति के संबंध में धारा 11 के तहत नई कार्यवाही करेगा। यदि भू-स्वामी इस उपधारा में दिए गए किसी भी विकल्प का प्रयोग करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो विशेष न्यायाधीश उसके आवेदन को खारिज कर देगा:

[4][बशर्ते कि आवेदक के मृत पूर्वज से देय ऋणों के संबंध में विशेष न्यायाधीश द्वारा तय की गई राशि आवेदक की सहमति के बिना, इस अधिनियम के अधीन

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 18 (2) द्वारा लोप किया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम IV, 1935 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम XI, 1939 की धारा 21 द्वारा जोड़ा गया।

परिसमापन कार्यवाही में उस सम्पत्ति के अलावा किसी अन्य सम्पत्ति से वसूली नहीं की जा सकेगी, जिससे वह सम्पत्ति विधिक रूप से वसूल की जा सकती थी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई आवेदन न किया गया होता।][1]

(3) उन सभी मामलों में, जिनमें इस धारा के अधीन कार्यवाही रद्द कर दी जाती है या आवेदन खारिज कर दिया जाता है, विशेष न्यायाधीश लागत के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे।

परिसमापन से पूर्व स्वामी की मृत्यु

50. यदि कोई भू-स्वामी, जिसके संबंध में [2][धारा 9] के अधीन सूचना प्रकाशित की गई है, धारा 44 के अधीन उसके संबंध में घोषणा किए जाने से पूर्व मर जाता है, तो -

(क) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही यथासंभव सभी प्रकार से उसी प्रकार जारी रखी जाएगी मानो भू-स्वामी अभी भी जीवित हो: और

(ख) भू-स्वामी की संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का उत्तराधिकारी कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति के संबंध में [3][धारा 7] की उपधारा (2) द्वारा अधिरोपित निर्योग्यताओं के अधीन हो जाएगा और तब तक अधीन बना रहेगा जब तक कि धारा 44 के अधीन उसके संबंध में घोषणा नहीं कर दी जाती।

जांच को न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। विशेष न्यायाधीश को भारतीय दंड संहिता के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

51. इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश द्वारा उससे किए गए किसी दावे के संदर्भ में, या ऐसे किसी दावे से संबंधित किसी मामले के संबंध में की गई प्रत्येक जांच, भारतीय दंड संहिता, 1860 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी; और विशेष न्यायाधीश उस संहिता के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

गवाहों को बुलाने, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने और खर्चा दिलाने की शक्ति।

52. गवाहों को उपस्थित होने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा खर्चा दिलाने के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायाधीश को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा सिविल न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

मुकदमों का निषेध

53. इस अधिनियम के अनुसरण में किसी भी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई किसी भी बात के संबंध में उसके विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

54. (1) [4][राज्य सरकार] लोक सेवकों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नियम[5] बना सकती है।

---

1. 1939 के उत्तर प्रदेश अधिनियम XI की धारा 21 द्वारा जोड़ा गया।
2. 1935 के उत्तर प्रदेश अधिनियम IV की धारा 5 द्वारा "धारा 8" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. यू.पी. अधिनियम IV, 1935 की धारा 5 द्वारा 'धारा 9' के लिए प्रतिस्थापित।

4 ए.ओ. 1950 द्वारा प्रांतीय सरकार के लिए प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के लिए प्रतिस्थापित।

5 नियमों के लिए, नोट देखें। -

सं. 618-संशोधित, दिनांक 10 अगस्त, 1935।

सं. 687-संशोधित, दिनांक 23 अगस्त, 1935।

सं. 2683/1, दिनांक 9 दिसंबर, 1935।

सं. 52-संशोधित, दिनांक 19 मई, 1936।

इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों में और सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कलेक्टर, विशेष न्यायाधीश और बंदोबस्त अधिकारी को, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य विधिक शुल्क नियत कर सकता है और इस अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियाँ किसी भी प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर को प्रदान कर सकता है।

(2) इस धारा के अंतर्गत नियम बनाने से पूर्व [1][राज्य सरकार] उसका एक प्रारूप [1][राजपत्र] में प्रकाशित करेगी और साथ ही उक्त प्रारूप की एक प्रति [2][राज्य विधानमंडल] के प्रत्येक सदन के सदस्य को भिजवाएगी।

(3) अंतिम रूप से नियम बनाते समय [3][राज्य सरकार] अपने द्वारा प्राप्त राय के साथ-साथ [4][राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन] द्वारा व्यक्त की गई किसी भी राय पर विचार करेगी।

55. [5][****]

सं. 139-संशोधन/1, दिनांक 4 जुलाई, 1936
सं. 277 संशोधन, दिनांक 4 जुलाई, 1936 16 सितम्बर, 1936.
2580/11/1, दिनांक 4 दिसम्बर, 1936.
सं. 2275-जे. दिनांक 25 मार्च, 1937.
सं. 449(3)/1-39, दिनांक 22 मई, 1939 और
सं. 539/1-1935, दिनांक 13 मई, 1940.
गज. 1935, भाग VIII, पृ. पृ. 263, वही 1935, भाग VIII, पृ. पृ. 406, वही 1935, भाग 1, पृ. 1657, वही 1936, भाग VIII. पृ. 124, वही 1936, भाग 1. पृ. 796, वही 1936, भाग VIII, पृ. 234, वही 1936, भाग I. पृ. 1389, वही 1937, भाग VIII पृ. 98, वही 1939, भाग I-A, पृ. 135 और वही, 1940, भाग I-A, पृ. 281-283।
सं. 22/141, दिनांक 10 अक्टूबर, 1941, गज. 1941, भाग IA, पृ. 311-313।
पृ. 233-RC/1-680-40, दिनांक 4 जुलाई, 1941, गज. 1941, भाग IA, पृ. 217-219।
सं. 89/1-41, दि. 18 नवंबर, 1941, गज़ में। 1941, पं. आईए, पी. 352-355.
सं. 160-आरसी/1-44, डी. 24 जून, 1941, गज़ में। 1941, पं. आईए, पी. 189.
सं. 45-आरसी/आई, डी. 4 जून, 1941, गज़ में। 1941, पं. आईए, पृ. 167-168.
सं. 2757(ii)/1-141 30, डी. 20 दिसंबर, 1941, गज़ में। 1941, पं. आईए, पी. 591.
सं. 2757(मिमी)/1-141-30, डी. 20 दिसंबर, 1941, गज़ में। 1941, पं. आईए, पी. 591.
सं. 40/1-651-41, डी. जनवरी 29, 1942, गज़ 1942 में, पीटी आईए, पृ. 33.
सं. 2581/1-89-41.डी. मार्च 2, 1942, गज़ में। 1942, पं. आईए, पी. 75.
सं. 2079/1-216-42, दि. अगस्त, 20, 1942, गज़ में। 1942, पं. आईए, पी. 454.
सं. 2931/1-216-42, डी. सितम्बर 28, 1942, गज़ में। 1942, पं. आईए, पी. 331-32.
सं. 2754/1-651-41, दि. सितम्बर 30, 1942, गज़ में। 1942, पं. आईए, पी. 333.
पी.ओ. 2224/1-336-41, डी. 28 अक्टूबर, 1942, गज़ में। 1942, पं. आईए, पी. 377.
पी.ओ. 1129/1-362 41, दि. 23 नवम्बर 1942, गज़ में। 1942, पं. आईए, पी. 559.
सं. 2173/1-216-42, दि. 27 नवंबर, 1943, गज़ में। 1943, पं. आईए, पी. 56-ए.
सं. 2480/1-112-43, डी. 24 नवंबर, 1943, गज़ में। 1943, पं. 1, पृ. 385.
सं. 2554/1-548-41, दि. सितम्बर 11, 1943, गज़ में। 1943, पीएल. आईए, पी. 43-ए.
पी.ओ. 1649/1-69-42, दि. 26 अक्टूबर, 1943, गज़ में। 1943, पं. आईए, पी. 49-ए.
पी.ओ. 3311/1-286-41, डी. जनवरी 18, 1944, गज़ में। 1944, पं. आईए, पी. 4. ए.
सं. 7/1-265-41, दि. मार्च 29, 1944, गज़ में। 1944, पं. आईए, पी. 16-ए. हाँ. 639/1-563-42, दि. एपीएल. 12, 1944, गज़ में। 1944, आईए, पी. 18-ए.
सं. 3344(1)/1-651-41, डी. अप्रैल। 12, 1944, गज़ में। 1944, आईए, पृ. 88.
सं. 3385/1-216-42, दिनांक 12 अप्रैल, 1944, राजपत्र 1944, भाग 1ए, पृ. 88:-89 में।
सं. 1824/1-216-42, दिनांक 26 जुलाई, 1944, राजपत्र 1944, भाग 1ए, पृ. 39-ए में।
सं. 3215/1-241-44, दिनांक 8 दिसंबर, 1944, राजपत्र 1944, भाग 1ए, पृ. 63-1369 में।
1 ए.ओ. द्वारा 1950 में प्रतिस्थापित,
2 ए.ओ. द्वारा 1937 में राजपत्र के लिए प्रतिस्थापित।
3. [प्रांतीय विधानमंडल के सदन] के स्थान पर ए.ओ. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा [स्थानीय एल.सी.] के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
4. (प्रांतीय) सरकार के स्थान पर ए.ओ. 1959 द्वारा प्रतिस्थापित, जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा (एल.जी.) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या XIII, 1954 की धारा 19 का लोप करें।

56. [1]**[****]**

कलेक्टर द्वारा कार्यवाही का स्थानांतरण

57. कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत अपने न्यायालय में लंबित किसी भी कार्यवाही को धारा 54 के अधीन सशक्त प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर के न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है और इस प्रकार स्थानांतरित किसी भी कार्यवाही को वापस ले सकता है।

राजस्व बोर्ड द्वारा कार्यवाही का स्थानांतरण

58. राजस्व बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही को एक कलेक्टर के न्यायालय से किसी अन्य कलेक्टर के न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

अपवाद

59. इस अधिनियम की कोई भी बात भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 के अंतर्गत कलेक्टर की भू-राजस्व या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी भी धन को एकत्र करने की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी।

"विशेष न्यायाधीश द्वारा कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग"

[2][**60.** अध्याय 5 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों का प्रयोग, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे, विशेष न्यायाधीश द्वारा सामान्यतः या किसी भी क्षेत्र में, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, किया जा सकेगा।]

————

नोट :– हिंदी अनुवादित प्रति।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 19 द्वारा लोप किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम XIII, 1954 की धारा 3, 21 द्वारा जोड़ा गया।